राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–33 / नेत्र सहायक / एफ.99 / 2021 / 138 दिनांकः 15/4/2021

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफ.डी. / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 9.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान–2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित नेत्र सहायकों को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा में सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उन्हे देय एसीपी स्वीकृत की जाती है :–

क. सं.	कर्मचारी का नाम व पदस्थापन	राज्य सेवा में नियुक्ति दिनांक	मैट्रिक्स लेवल देय दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	श्री आनन्द प्रकाश चौधरी सीएचसी रानीवाड़ा, जालोर	12.3.1993	12.3.2020 27 वर्ष	L - 10	L - 11
2.	श्री गोरधनराम सीएचसी सिणधरी,बाड़मेर	2.7.1993	2.7.2020 27 वर्ष	L - 10	L - 11
3	श्री योगेश जांगिड़ सीएचसी सादड़ी, पाली	4.3.2011	4.3.2020 9 वर्ष	L - 5	L - 6

कर्मचारी का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

//
(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–33 / नेत्र सहायक / एफ.99 / 2021 / 138 दिनांक : 15/4/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सम्बन्धित प्रशासनिक / नियंत्रक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, को अपलोड वास्ते।
3. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर